

बीकानेर में लॉरेन्स गैंग के शूटर समेत पांच बदमाश गिरफ्तार

पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे पांचों बदमाश

बीकानेर, (निर्स)। डकैती की योजना बना रहे पांच हाईकोर अपराधियों को सदर थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने घर दबोचा। श्रीगंगानगर पुलिस की सूचना पर हुई इस कार्रवाई में पकड़े गये आरोपियों से अवैध देशी पिस्टल व सात जिन्दा कारतूस भी बरामद किये हैं। एस्पपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि श्रीगंगानगर में वांछित एक बदमाश के राजपूत छात्रावास के पास होने की खबर पुलिस को मिली थी। इस बदमाश के पास कार थी, जो राजपूत छात्रावास के पास पुलिस को नजर आ गई। मौके पर पहुंचकर धरपकड़ की गई तो बदमाशों के पास हथियार भी मिले। ये लोग बीकानेर शहर के किसी पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो राजपूत छात्रावास के पास गली के अन्दर कार खड़ी थी। दो-तीन लड़के कार के बाहर थे। एक-दो लड़के कार के अन्दर बैठे दिखाई दिए जो आपस में बात कर रहे थे। पुलिस ने यहां से पांच बदमाशों को पकड़ा जो पृच्छाछ में हाईकोर अपराधी निकले। इनके कब्जे से एक देशी पिस्टल, 7 जिन्दा कारतूस, एक धारदार चाकू, मिर्ची पाउडर तथा एक कार जब्त की गई। पुलिस ने जिन हाईकोर



पुलिस ने लॉरेन्स गैंग के शूटर समेत पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया।

अपराधियों को पकड़ा है उनमें कार्ति जाखड़ (28) पुत्र राजेन्द्र जाखड़ निवासी 2 केएलएम रावला मंडी, लक्ष्मण चौधरी (20) पुत्र सुखदेव जाट निवासी सूर्य नगर गली नम्बर 4 जंटसिंह को कोठी के पास हनुमानगढ़ टाउन, निशांत कुमार (24) पुत्र रामेश्वर लाल जाट निवासी 36 एच नगी श्रीकरपुर,

मनीष (28) पुत्र दलीप कुमार बिशोई निवासी 5 केडी रावला पुलिस थाना रावला, अमन साई (28) पुत्र प्रेमराज साई निवासी 1070 एलआईसी कॉलोनी यूआईटी के पास गंगानगर को गिरफ्तार किया है। एस्पपी ने बताया कि इनमें से पकड़ा गया कार्तिक जाखड़ लॉरेन्स गैंग का शूटर है। जिसके खिलाफ

आर्मस् एक्ट, धोखाधड़ी, हत्या, हमले के अलग-अलग धाराओं में पांच मामले दर्ज हैं, जिसमें नीम का थाना, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व गजसिंहनगर में दर्ज है। इसके अलावा निशांत कुमार के खिलाफ केसरीसिंहपुर, अमन साई के खिलाफ श्रीगंगानगर तथा मनीष कुमार के खिलाफ रावला में मामला दर्ज है।

- आरोपियों के कब्जे से अवैध देशी पिस्टल व सात जिन्दा कारतूस बरामद
- बदमाशों में कार्तिक जाखड़ लॉरेन्स गैंग का शूटर है, जिसके खिलाफ पांच मामले दर्ज हैं

बदमाशों पर आर्मस् एक्ट व बीएनएस 2023 की नई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पृच्छाछ की जा रही है। युवकों पर पूर्व में अवैध मादक पदार्थ, आर्मस् एक्ट के मामले दर्ज हैं। सबसे ज्यादा मामले निशांत के खिलाफ दर्ज हैं, जो राज्यघर के थानों में अलग-अलग दर्ज हो चुके हैं। इनको पकड़ने वाली टीम में उपनिरीक्षक जातराम, हेड कॉनि. मुकेश, कॉनि. रोकेश कुमार, रवि कुमार, अभिषेक, सुरेश, जगदीश, कमलेश व श्रीगंगानगर जवाहर नगर थाना के उपनिरीक्षक नरेश मोघा तथा डीएसटी बीकानेर की टीम सदस्य शामिल रहे।

गोविंदगढ़ में तीन लैब सीज की

गोविंदगढ़/अलवर, (निर्स)। गोविंदगढ़ कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने तीन लैब संचालकों पर कार्यवाही करते हुए लैब संचालकों की तीन दुकानों को बंद करने के मौखिक निर्देश दिए। जांच के दौरान अलवर पैथ लैब, कविता लैब, रितिका लैब जो कि बिना डिग्रीधारी द्वारा संचालित की जा रही है और साथ ही बायो वैस्ट का निस्तारण भी अवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। इधर लैब संचालकों पर कार्यवाही होते देख कस्बे के झोलाछाप डॉक्टर दुकानें बंद कर फरार हो गए। टीम के द्वारा सीएचसी गोविंदगढ़ का भी निरीक्षण किया गया जिसमें डॉक्टर

नसीब खान की टेबल पर कविता लैब की जांच रिपोर्ट मिली, जिसका उनके द्वारा संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल पाया। इसके अतिरिक्त जनरल वार्ड में मरीज के हाथों में अलवर पैथ लैब की रिपोर्ट मिली जिस पर मरीज ने बताया कि उसे डॉक्टर ने वहां जांच के लिए भेजा था। सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि आज हमने गोविंदगढ़ सीएचसी के सामने संचालित लैबों की जांच की और पाया कि बिना डिग्रीधारी लोगों द्वारा लैब संचालित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान एक तो उनमें डॉक्टर नहीं पाया गया। मुख्यधारा: वह बिना डॉक्टर की जांच कर रहे थे और अधिकतर

लैब में लैब टेक्नीशियन भी प्रशिक्षित नहीं था और ना ही एक्स-रे टेक्नीशियन पाया गया। इन तीन लैबों को हमने सीज करवा दिया है। इसके अलावा इन लैब के बायोवेस्ट का संधारण भी पूरी तरह से सही नहीं था। इसके अलावा लैब में जो जांचें हो रही हैं वह अस्पताल के अंदर बैठे डॉक्टर के द्वारा लिखी गई हैं इनके रजिस्टरों में इसको भी देखना पड़ेगा कि मरीजों को डॉक्टर बाहर जांच के लिए भेज रहे हैं या फिर मरीज अपनी मर्जी से यहां जांच करवा रहे हैं। इन सभी लैब संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है।

जहरीला पदार्थ खाने से एक की मौत

रतनगढ़, (निर्स)। तहसील के गांव टोडियारस निवासी 27 वर्षीय युवक ने 26 अगस्त को भूलवश भोजन के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई तथा उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया। उपचार के दौरान मंगलवार की शाम उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के रिश्ते में भाई लालचंद पुत्र बिगताराम ढोली निवासी कितारस तहसील श्रीद्वारगढ़ की रिपोर्ट पर मर्द दर्ज कर लाश का बुधवार को बीकानेर में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दी है। एएसआई गिरधारीसिंह ने बताया कि लालचंद ने रिपोर्ट में लिखा कि उसका चाचा सुरजाराम लगभग 30 साल से टोडियारस रहता है। सुरजाराम का 27 वर्षीय पुत्र रोकेश मानसिक रूप से परेशान था। 26 अगस्त को शाम भोजन के साथ भूलवश जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में उसकी मौत हो गई।

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

भीलवाड़ा, (निर्स)। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एफ) देवेन्द्रसिंह नागर ने 14 साल की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ रेप करने के आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार एक महिला ने 14 जून 2022 को जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत महावीर पुत्र कालुलाल भोल के खिलाफ दी। इसमें बताया गया कि परिवारिया को सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की बेटि को आरोपी महावीर की पत्नी अपने साथ ले जाती थी और घर का काम करवाती थी। वह नाबालिग को अपने घर छोड़के चली जाती थी। इस महिला का पति महावीर घर पर ही रहता था जो नाबालिग लड़की के साथ गलत व्यवहार करने लगा। वह इस नाबालिग के साथ रेप करता। परिवारिया ने शिकायत में बताया कि पांच दिन पहले

■ कोर्ट ने 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। उसकी पुत्री को उक्त आरोपी भगाकर कहीं ले गया, जो उसी के कब्जे में है। पुलिस अधीक्षक के आदेश से सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर अनुसंधान किया। नाबालिग को दस्तायब कर आरोपी महावीर को गिरफ्तार कर जांच की। इसके बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 32 दस्तावेज पेश कर महावीर पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपित महावीर को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

रेलवे अंडरपास का पानी खेतों में छोड़ने से किसानों की फसल की बर्बादी

अजमेर, (कासं)। रेलवे के अधिकारियों द्वारा जबरन अंडरपास का बरसाती पानी किसानों के खेतों में डालने के मामले को लेकर जिला परिषद सदस्य श्रवणसिंह रावत व पूर्व सरपंच घनश्याम जांगिड़ के नेतृत्व में लोगों ने जिला कलेक्टर डॉ. भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा कि अजमेर खण्डया रेलवे लाईन पर स्थित अंडरपास सं. 05 जो कि पुराना बड़गांव व नया बड़गांव के सम्पर्क के लिये रेलवे द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व बनाया गया था, जो कि ग्रामीणों के लिये मुसीबत का सबब बना हुआ है। अंडरपास के चारों ओर किसानों की खेती की जमीनें हैं तथा जिसमें काश्तकार खेती करते हैं। बारिश की अधिकता के कारण खेतों में वैसे ही पानी लंबालब भरा हुआ है, उसके बावजूद रेलवे द्वारा अंडरपास का पानी भी जबरन खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे और अधिक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे का कोई अधिकारी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने जब

इस बात का विरोध किया तो जी.आर.पी. पुलिस की गाड़ियां मंगवाकर गरीब काश्तकारों को डरा-धमका कर जबरन पम्प बुलाकर खेतों में पानी डालना प्रारम्भ कर दिया, जो अनवरत अभी तक चालू है तथा खेतों में लंबालब पानी भर रहा है, जिससे फसलें खराब होने की पूरी आशंका है। पूर्व सरपंच घनश्याम जांगिड़ ने जब एलओडब्ल्यू अजय जैन से इस संबंध में फोन पर बात की तो अजय जैन ने बताया कि उच्च अधिकारियों से बात करो फिर उच्च अधिकारी वरिष्ठ अभियंता डी ई एन शेरसिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि अंडरपास का पानी खाली करना है, चाहे आपको फसलें खराब हो या और कुछ हो, चाहो तो मेरी शिकायत कर दो।

इस पर उन्हें बताया गया कि इस समस्या का समाधान टैंकर की व्यवस्था कर टैंकरों से खाली किया जा सकता है, लेकिन उच्च अधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, उन्होंने कहा कि काश्तकारों ने महंगे गुलाब की खेती की हुई है, जो लगभग एक बीघा में चार

से पांच लाख की पौधे आते हैं तथा लगभग 7-8 बीघा में गुलाब की खेती है जो पूरी तरह से नष्ट होने की स्थिति में है। वही रेलवे के अधिकारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। 10 वर्ष पूर्व जब आरयूबी का निर्माण किया था तब उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार आर यू बी के दोनों ओर दो गहरे कुएं खोदे गए तथा अंडरपास के तल में चेंबूर के जरिये पाइप लाइन के कुचों के छोड़ा गया था। दो-तीन वर्ष तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, जितना पानी भरता था वो कुओं में चला जाता था, लेकिन रेलवे वालों की लापरवाही के कारण चेंबूर व पाइप लाइन मिट्टी जाने से बन्द (चौक) हो गई, जिससे कुओं में पानी जाना बन्द हो गया। ऐसे में रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही से इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ग्राम पुराने बड़गांव से नए बड़गांव स्थित सरकारी विद्यालय में जाने वाले बच्चों को भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे अंडर पास की दीवार के उपर चलकर स्कूल जाते हैं, जिससे कोई भी हादसा होने की संभावना बनी रहती है।

चैक अनादरण के आरोपी को सजा

मदनगंज-क़िशनगढ़, (निर्स)। अदालत ने चैक अनादरण के आरोपी को 6 माह का कारावास एवं जुर्माना की सजा से दंडित किया है। सरगांव निवासी हसन मोहम्मद पुत्र नेहरू शाह ने लक्ष्मीनारायण शर्मा से एक लाख 41 हजार रुपये बतौर उधार लेकर भुगतान के लिये चैक दिया था, किंतु चैक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर चैक रिटर्न हो गया। कई बार तकाजा किया, पर टालमटोल रवैया अपनाकर भुगतान नहीं किया। परिवारी लक्ष्मीनारायण ने एडवोकेट प्रमोद शर्मा के जरिये अदालत परिवार पेश कर न्याय की गुहार लगाई। न्यायाधीश सुनील गोस्वामी ने एडवोकेट शर्मा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी हसन मोहम्मद को 6 माह का कारावास व जुर्माने से दंडित किया।

मार्बल फैक्ट्री में श्रमिक की मौत

मदनगंज-क़िशनगढ़, (निर्स)। गांधीनगर थाना अंतर्गत मार्बल एरिया स्थित श्रीनिवास मार्बल फैक्ट्री में पत्थर के निचे दबने से एक श्रमिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गांव रलवाला निवासी सरदार गुर्जर (43) पर अकस्मात मार्बल ब्लॉक गिर पड़ा, जिससे निचे दबने से इसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री में शव के पास बैटकर मौत के लिये फैक्ट्री मालिक को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजा देने की मांग की। दोनों पक्षों के बीच समझौदा के जरिये सुलह हो जाने पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

न्यायालय भवन के सामने से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का पीला पंजा चला

कच्चे-पक्के बनाए गए मकानों को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त करवाया

सादुलपुर, (निर्स)। न्यायालय भवन राजगढ़ के सामने सरकारी भूमि से बुधवार को दिन भर अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त करवाने की कार्रवाई की गई। झुग्गी बस्ती के लोगों और उनके सामान को नगर पालिका प्रशासन राजगढ़ के ट्रैक्टरों में डालकर पहुंचाने की भी कार्रवाई की गई। लेकिन सामान इतना ज्यादा हो गया कि साधन कम पड़ गए। प्रशासन की ओर से चिन्हित कुल 52 परिवारों के अतिक्रमण को हटाने

- पुलिस प्रशासन सहित एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, एएसपी व सीआई मौके पर रहे
- पुनर्वास के लिए प्रशासन ने भामाशाह से जमीन उपलब्ध करवाई

की कार्रवाई की गई है। वहीं दोपहर 11 बजे लगभग अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। जो शाम 6 बजे तक की जा रही थी। दोपहर साढ़े बारह बजे चेतावनी के बाद जेसीबी मशीन का पीला पंजा चलना शुरू हो

गया तथा देखते ही देखते न्यायालय भवन राजगढ़ की भूमि पर बनाए गए कच्चे पक्के मकानों को हटाना शुरू कर दिया गया। जिला कलेक्टर की आदेशों की पालना में अतिक्रमण को हटाने के लिए

लगभग दो सौ से अधिक पुलिस के जवान तथा अतिकर्मियों की संख्या से अधिक महिला कॉन्स्टेबल को तैनात किया गया था। झुग्गी बस्ती के लोगों का घरेलू सामान इतना ज्यादा था। साधन कम पड़ गए। जिसके कारण प्रशासन ने अन्य लोगों की सहायता से ट्रैक्टर और पिकअप जीप तथा दो बड़े ट्रकों की व्यवस्था की। इसके बाद झुग्गी बस्ती के लोगों के सामान को उपलब्ध करवाई गई जगह पर पहुंचाया गया।

लेकिन शाम 6 बजे तक बस्ती के लोगों का सामना ले जाया जा रहा था। इसके अलावा तीन जेसीबी मशीन सहित नगर पालिका राजगढ़ के सैंकड़ों सफाई कार्मिकों ने अतिक्रमण को हटाना। देर शाम को न्यायालय भवन राजगढ़ की उत्तरी दिशा की दीवार के पास खड़े झाड़ झांझड़ को भी हटाकर भूमि का समतलीकरण कर सफाई की। लगभग सात घण्टे तक चली कार्रवाई शाम 6 बजे तक भी पूरी नहीं हो सकी।

हादसे में छह ऊंटों की मौत

उदयपुर, (कासं)। रात के समय पैथर को देख कर भागे छह ऊंट वाहनों की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार भेसड़ा खुर्द डेडरों की ढाणी प्रतापनगर निवासी गणेशलाल पुत्र हाद्वन रेबारी दो अगस्त को तीस से पैंतीस ऊंटों के चरने के लिए देबारी क्षेत्र में ले गया था, जहां रात के समय में पैथर को देख जान बचाकर ऊंट वहां से भागे। इस दौरान वाहनों के चपेट में आने से छह ऊंटों की मौत हो गई। दूसरे दिन ऊंटों के लापता होने पर तलाश में निकले गणेशलाल को ऊंट मृत हालत में मिले।

युवक की मौत

उदयपुर, (कासं)। शहर के बड़गांव थाना क्षेत्र में युवक की अकाल मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांधपुरी नगर बड़गांव निवासी करणसिंह पुत्र देवीसिंह की मौत हो गई। करणसिंह पाउडर फैक्ट्री में नौकरी करता था। रात में वह खाना खाने के बाद सोया था। इस दौरान अचानक तबीयत खराब होने पर परिजन उसे उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भीलवाड़ा कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने गोवटा व जैतपुरा बांध का निरीक्षण किया

वर्षा जनित घटनाओं की रोकथाम हेतु स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे : कलेक्टर

मांडलगढ़, (निर्स)। भीलवाड़ा कलेक्टर नमित मेहता व पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बुधवार को मांडलगढ़ उपखंड में गोवटा और जैतपुरा बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश दिए।



जैतपुरा और गोवटा बांध का भीलवाड़ा कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया।

जिला कलेक्टर ने गोवटा बांध पर चल रही चादर का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिये कि संयुक्त निगरानी रखकर किसी भी अप्रिय घटना व जनहानि की रोकथाम हेतु बांध पर लोगों की आवाजाही को रोका जावे। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे। उन्होंने निर्देश दिये कि बांध क्षेत्र में मिट्टी कटाव व बांध में रिसाव जैसी स्थिति पाए जाने पर तुरन्त रोकथाम के उपाय करें। उन्होंने उपखंड अधिकारी अजीत सिंह से बांध पर किसी भी अप्रिय घटना

की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नियुक्त कार्मिकों की जानकारी ली। उन्होंने सिंघाई विभाग के सहायक

अभियंता धर्मैत्र पुरनिया से बांध की भराव क्षमता सहित अन्य जानकारियां ली। जलजनित अप्रिय घटनाओं की रोकथाम

हेतु आसपास के लोगों सहित आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बांध के आसपास सफाई व्यवस्था भी

- जल वितरण कमेटी की बैठक की जानकारी लेकर एईएन को दिशा निर्देश दिए

दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिये कि जिले में अच्छी बारिश हो रही है। वर्षा जनित घटनाओं की रोकथाम हेतु स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की दुर्घटना की सूचना तुरन्त दी जावे। उन्होंने जैतपुरा बांध का भी निरीक्षण किया। जल वितरण कमेटी की बैठक संबंधी जानकारी ली तथा एईएन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मांडलगढ़ तहसीलदार ललित डीडबानिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बरसाती नाले में डूबने से दो युवकों की मौत

मांडलगढ़, (निर्स)। मांडलगढ़ के बिलिया गांव में एक दुखद घटना में दो युवकों की नाले में डूबने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब दोनों युवक गांव के पास स्थित नाले में नहाने गए थे। इस दौरान अचानक एक युवक का संतुलन बिगड़ा और नाले के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा तो साथी युवक उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई।

- अचानक एक युवक का संतुलन बिगड़ा और नाले के गहरे पानी में चला गया
- युवक डूबने लगा तो साथी युवक उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया

ग्रामीणों के अनुसार बिलिया गांव के पास स्थित बरसाती नाले में थलकलां निवासी कमलेश बैरवा और शिवलाल सालवी नहाने के लिए गए थे। इस दौरान नाला बरसात के कारण उफान पर था, जिससे पानी का बहाव तेज हो गया था। जैसे ही युवकों के डूबने की खबर गांव वालों में फैली, ठामिणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्हें बचाने की कोशिश की। हालांकि, पानी के तेज बहाव के कारण वे दोनों को बाहर निकालने में असफल रहे। घटना की सूचना मिलने पर बोगेद थाना पुलिस टीम मौके पर

पहुंची। काफी मशक्कत के बाद युवकों के शवों को नाले से बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान थलकलां गांव के निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नाले में रोज कई युवक मछलियां पकड़ने आते हैं। इस हादसे से पूरे थलकलां गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मांडलगढ़ अस्पताल की मोचरी में रखवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।